INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 11 | DECEMBER – 2025

"भारत निर्वाचन तंत्र में सुधारात्मक प्रयासों का मूल्यांकन : एक समीक्षात्मक अध्ययन"

मुकेश कुमार मिश्रा[1] डॉ. एस.पी. शुक्ला[2]
[1]शोधार्थी राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

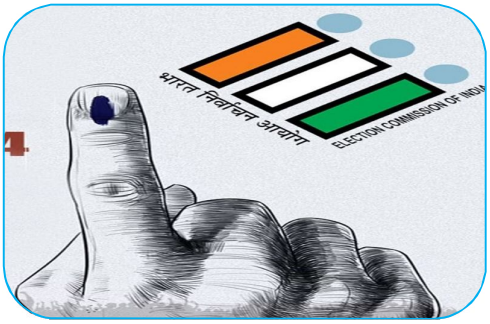

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ निर्वाचन तंत्र लोकतांत्रिक शासन की आत्मा के रूप में कार्य करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय निर्वाचन व्यवस्था ने समय–समय पर अनेक संवैधानिक, विधिक एवं संस्थागत सुधारों को आत्मसात किया है, जिनका उद्देश्य चुनावों की निष्पक्षता, पारदर्शिता, सहभागिता तथा विश्वसनीयता को सुदृढ़ करना रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत के निर्वाचन तंत्र में किए गए प्रमुख सुधारात्मक प्रयासों का समीक्षात्मक मूल्यांकन राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन सुधार केवल तकनीकी या प्रशासनिक प्रश्न नहीं हैं, बल्कि वे सत्ता, प्रतिनिधित्व, राजनीतिक नैतिकता एवं लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व से गहराई से जुड़े हुए हैं। शोध में चुनाव आयोग की संवैधानिक भूमिका, मतदाता पहचान प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, चुनावी व्यय नियंत्रण, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की रोकथाम तथा हाल के वर्षों में निर्वाचन सुधारों से जुड़े विधायी एवं न्यायिक हस्तक्षेपों का विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार निर्वाचन सुधारों की सफलता केवल कानूनी प्रावधानों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नागरिक चेतना तथा संस्थागत स्वायत्तता पर निर्भर करती है। अतः भारत में लोकतंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर एवं समग्र निर्वाचन सुधार अनिवार्य हैं।

मुख्य शब्द : निर्वाचन तंत्र, निर्वाचन सुधार, चुनाव आयोग, लोकतंत्र, लोकसभा, राजनीतिक सुधार, मतदाता सहभागिता।

प्रस्तावना –

लोकतंत्र की अवधारणा जनसत्ता, जनप्रतिनिधित्व एवं जनभागीदारी पर आधारित होती है और इन तीनों का मूर्त रूप निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से ही सामने आता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण, विशाल एवं सामाजिक–आर्थिक विषमताओं से युक्त देश में निर्वाचन तंत्र का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं स्वायत्त संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों का संचालन सुनिश्चित करेगा। किंतु व्यवहार में निर्वाचन प्रक्रिया अनेक राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दबावों से प्रभावित होती रही है, जिसके परिणामस्वरूप समय–समय पर निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।

स्वतंत्रता के पश्चात् प्रारंभिक वर्षों में भारत का निर्वाचन तंत्र अपेक्षाकृत सरल था, किंतु जैसे–जैसे लोकतंत्र का विस्तार हुआ, राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ी, चुनावों की प्रतिस्पर्धा तीव्र हुई और सत्ता प्राप्ति की राजनीति अधिक जटिल होती गई। इसके साथ ही धनबल, बाहुबल, जाति–धर्म आधारित राजनीति, मतदाता प्रलोभन, फर्जी मतदान तथा आपराधिक तत्वों की राजनीति में भागीदारी जैसी समस्याएँ उभरकर सामने आईं है। इन परिस्थितियों में निर्वाचन तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगना यथोचित होता है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो निर्वाचन सुधार सत्ता संरचना को नियंत्रित करने तथा लोकतांत्रिक नैतिकता को पुर्नस्थापित करने का माध्यम है। चुनाव सुधारों के माध्यम से न केवल प्रशासनिक कमियों को दूर किया जाता है, बल्कि राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के आचरण को भी अनुशासित करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार मतदान आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष करना राजनीतिक सहभागिता के विस्तार का महत्वपूर्ण कदम माना गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग चुनावी धांधली की संभावनाओं को कम करने की दिशा में एक तकनीकी सुधार किया गया है।

हाल के दशकों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, आदर्श आचार संहिता का कठोर अनुपालन तथा चुनावी व्यय की निगरानी जैसे उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों ने निर्वाचन सुधारों को नई दिशा प्रदान की है, जैसे प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड का अनिवार्य खुलासा। तथापि राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक संरचना की कमजोरी, चुनावी चंदे की अपारदर्शिता तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी आज भी सुधारों की गति को सीमित करती है।

इस प्रकार भारत में निर्वाचन सुधारों का अध्ययन केवल कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के समग्र मूल्यांकन के रूप में किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र इसी दृष्टिकोण से निर्वाचन तंत्र में किए गए सुधारात्मक प्रयासों का समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

शोध का उद्देश्य –

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत के निर्वाचन तंत्र में किए गए सुधारात्मक प्रयासों का राजनीतिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना है। इस शोध के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि निर्वाचन सुधार किस सीमा तक लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुए हैं तथा किन क्षेत्रों में अभी भी सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य बिन्दुवार इस प्रकार हैं–

- भारत में निर्वाचन सुधारों के प्रमुख स्वरूपों एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
- निर्वाचन सुधारों के राजनीतिक प्रभावों का समीक्षात्मक विश्लेषण करना।
- लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु भविष्यगत निर्वाचन सुधारों की दिशा सुझाना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध विधि –

प्रस्तुत शोध में मुख्यतः द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है। इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग की वार्षिक रिपोर्टें, जनगणना एवं सांख्यिकीय प्रकाशन, सरकारी दस्तावेज, संसदीय बहसें, न्यायालयीन निर्णय, शोध पत्रिकाएँ, पुस्तकें तथा विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों का अध्ययन किया गया है। शोध की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है, जिसमें उपलब्ध समंकों की व्याख्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में की गई है। सांख्यिकीय आँकड़ों को प्रतिशत एवं तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत कर उनके माध्यम से निर्वाचन सुधारों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है।

विश्लेषण –

भारत का निर्वाचन तंत्र लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है, जिसमें समय–समय पर किए गए सुधारात्मक प्रयासों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सहभागी बनाना रहा है। निर्वाचन सुधारों का वास्तविक प्रभाव केवल विधायी या प्रशासनिक प्रावधानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह

चुनावों में जनभागीदारी, मतदाता व्यवहार तथा संस्थागत विश्वसनीयता के स्तर पर भी परिलक्षित होता है। इसी संदर्भ में निर्वाचन अनुसार वर्षवार विश्लेषण एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में उभरता है, जिसके माध्यम से विभिन्न लोकसभा चुनावों में सुधारों की क्रमिक प्रगति और उनके परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत विश्लेषण वर्ष 2009, 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनावों के चयनित संकेतकों के आधार पर यह समझने का प्रयास गया है कि निर्वाचन सुधारों ने भारतीय लोकतंत्र के विकास को किस सीमा तक प्रभावित किया है तथा किन क्षेत्रों में अभी भी सुधार की संभावनाएँ विद्यमान हैं। इस प्रकार भारत में निर्वाचन सुधारों का वर्षवार प्रभाव का विवरण सारणी क्रमांक 01 में प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है –

सारणी क्रमांक 01

भारत में निर्वाचन सुधारों का वर्षवार प्रभाव (लोकसभा चुनावों के संदर्भ में)

निर्वाचन वर्ष	मतदान प्रतिशत (%)	महिला मतदान सहभागिता (%)	शहरी मतदाता भागीदारी (%)	मतदाता पंजीकरण (%)
2009 (सुधार पूर्व)	58	54	55	72
2014 (आंशिक सुधार)	61	59	58	80
2019 (सुधार पश्चात्)	67	65	63	89

स्रोत– भारत निर्वाचन अयोग, *Statistical Reports on General Elections to Lok Sabha* , नई दिल्ली (2009, 2014, 2019)।

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से सुस्पष्ट होता है कि भारत में निर्वाचन सुधारों का प्रभाव विभिन्न लोकसभा चुनावों में क्रमिक, चरणबद्ध एवं संरचनात्मक रूप से परिलक्षित हुआ है। यदि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव को सुधार–पूर्व आधार के रूप में स्वीकार किया जाए, तो उस अवधि में मतदान प्रतिशत, महिला मतदान सहभागिता तथा मतदाता पंजीकरण जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक संकेतक अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर पाए जाते हैं। यह स्थिति निर्वाचन प्रक्रिया में विद्यमान प्रशासनिक सीमाओं, तकनीकी अवसंरचना की कमी तथा सीमित मतदाता जागरूकता की ओर संकेत करती है।

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों को निर्वाचन सुधारों के संक्रमणकालीन चरण के रूप में देखा जा सकता है। इस अवधि में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के आंशिक डिजिटलीकरण, ईवीएम के व्यापक एवं संस्थागत प्रयोग, तथा सुव्यवस्थित मतदाता जागरूकता अभियानों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप सभी प्रमुख संकेतकों में क्रमिक सुधार दृष्टिगोचर होता है। मतदान प्रतिशत, महिला सहभागिता एवं शहरी मतदाता भागीदारी में हुई वृद्धि यह दर्शाती है कि निर्वाचन सुधारों ने नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने में आंशिक किंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में निर्वाचन सुधारों का प्रभाव सर्वाधिक सुदृढ़ एवं स्पष्ट रूप में परिलक्षित होता है। मतदान प्रतिशत का 67 प्रतिशत तक पहुँचना यह प्रमाणित करता है कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, विश्वसनीयता एवं तकनीकी दक्षता में हुए सुधारों के कारण चुनावी व्यवस्था के प्रति जनविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महिला मतदान सहभागिता में निरंतर वृद्धि भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समावेशन एवं सामाजिक–राजनीतिक चेतना के विस्तार को रेखांकित करती है। इसी प्रकार, शहरी मतदाता भागीदारी में वृद्धि यह संकेत देती है कि शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से विद्यमान राजनीतिक उदासीनता को कम करने में निर्वाचन सुधारों की भूमिका प्रभावी रही है। मतदाता पंजीकरण का 89 प्रतिशत तक पहुँचना डिजिटल पंजीकरण प्रणाली, प्रशासनिक दक्षता तथा संस्थागत समन्वय की सफलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित करता है।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत में निर्वाचन सुधारों ने लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया को क्रमिक रूप से अधिक सहभागी, तकनीकी रूप से सक्षम तथा प्रशासनिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2009 से 2019 के मध्य मतदान प्रतिशत, महिला मतदान सहभागिता, शहरी मतदाता भागीदारी

तथा मतदाता पंजीकरण में हुई निरंतर वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाए गए सुधारात्मक उपायों जैसे– मतदाता सूची का डिजिटलीकरण, ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रयोग तथा व्यापक मतदाता जागरूकता अभियानकृने चुनावी व्यवस्था के प्रति जनविश्वास को सुदृढ़ किया है। विशेष रूप से महिला मतदाताओं की बढ़ती सहभागिता भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक समावेशन एवं राजनीतिक चेतना के विस्तार का सकारात्मक संकेत प्रस्तुत करती है।

साथ ही यह भी स्पष्ट है कि निर्वाचन सुधारों की उपलब्धियाँ मुख्यतः लोकतंत्र के मात्रात्मक पक्ष तक सीमित रही हैं। केवल मतदान या पंजीकरण में वृद्धि को लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की पूर्ण कसौटी नहीं माना जा सकता। चुनावी नैतिकता का क्षरण, राजनीतिक अपराधीकरण तथा धनबल का प्रभाव आज भी निर्वाचन तंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि भविष्य में निर्वाचन सुधारों को केवल तकनीकी एवं प्रशासनिक उपायों तक सीमित न रखते हुए, राजनीतिक उत्तरदायित्व, नैतिकता तथा संस्थागत पारदर्शिता को केंद्र में रखकर आगे बढ़ाया जाए, ताकि भारतीय लोकतंत्र को गुणात्मक रूप से अधिक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय बनाया जा सके।

संदर्भ –

1. ऑस्टिन, जी., भारतीय संविधानः एक राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड, 1999
2. भारत निर्वाचन आयोग, वार्षिक प्रतिवेदन, नई दिल्ली, 2022
3. कुमार, एस., भारत में निर्वाचन सुधार, नई दिल्ली, 2018
4. पालशीकर, एस., भारत में चुनाव की राजनीति, दिल्ली, 2019
5. वर्मा, आर., भारतीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन राजनीति, जयपुर, 2017
6. यादव, वाई., लोकतंत्र एवं निर्वाचन सुधार, नई दिल्ली, 2020
7. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन से संबंधित निर्णय, नई दिल्ली, 2019
8. भारत सरकार, निर्वाचन सुधारों पर विधि आयोग की रिपोर्टें, नई दिल्ली, 2015